संख्या:-51/2026/आई-1268086/23-5099-099-14-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2030548)

प्रेषक,

एस० पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2026**

विषय: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस में सूटों/कक्षों की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (भवन वर्ग) के पत्रांक 2870/9 (निरीक्षण) बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 07.11.2025 एवं पत्रांक 3387/9(निरीक्षण) बी0पी0-विंग/2025 दिनांक 29.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन एवं जिला प्रशासन के नियंत्रणाधीन सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस में सूटों/कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेब पोर्टल CIRCUIT HOUSE INFORMATION SYSTEM (http://guesthouse.uppwd.gov.in) संचालित है।

2- उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि उपरोक्त वेब पोर्टल के माध्यम से कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग कराने की प्रक्रिया का संचालन प्रभावशाली ढंग से न हो पाने के कारण असुविधा उत्पन्न हो रही हैं, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस में सूटों/कक्षों की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुकिंग को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें:-

1) विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस में सूटों/कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग हेतु समस्त जिलाधिकारियों को login-ID व Password पूर्व से जारी है, जिसके माध्यम से जिलाधिकारियों द्वारा बुकिंग के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। इस पोर्टल (http://guesthouse.uppwd.gov.in) के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से बुकिंग नहीं होगी।

2) यदि अतिथि द्वारा पोर्टल से ऑनलाइन प्री-बुकिंग नहीं की गई हो और निरीक्षण भवन/सर्किट हाउस पर पहुंचकर कक्ष के बुकिंग हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में कक्ष की उपलबध्ता के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर अतिथि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ अंकित करते हुए ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर बुकिंग की कार्यवाही की जायेगी।

3) प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर वी0आई0पी0 विजिट एवं प्रोटोकाल के दृष्टिगत 10 कक्षों से अधिक क्षमता के निरीक्षण भवन/सर्किट हाउस में 04 कक्षों को एवं 10 कक्षों से कम क्षमता के निरीक्षण भवन/सर्किट हाउस में 02 कक्षों को उक्त बुकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त आरक्षित रखा जायेगा, जिन्हें प्रोटोकाल के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही माननीयगण/अन्य विशिष्ट अतिथिगण को नियमानुसार आवंटित किया जायेगा। जनपद के जिलाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में माननीयगण/अन्य विशिष्ट अतिथिगण हेतु कक्षों के आरक्षण की उक्त व्यवस्था में यथावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

संलग्नक :- यथोपरि।

1- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया/क्रियाविधि।

2- जिलाधिकारी द्वारा बुकिंग कन्फर्म किये जाने की प्रक्रिया/क्रियाविधि।

भवदीय,
एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

संख्याः- (1)/23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) प्रमुख अभियंता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

2) मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

3) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमित आसेरी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।